न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 12/2017

कालू पुत्र सूरजमल, पहाडगंज,खटीक मौहल्ला, अजमेर। ....अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला--अजमेर (राज0) ....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश दिनांक – 7.12.2017

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन/अपील की जॉच आयुक्त नगर निगम, से करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 31.03.2017 (क्रम संख्या 868) द्वारा राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र 2.2.2015 की समावेशन सूची "अ" (inclusion) श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन/अपील खारिज की गई जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रेषित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ स्वीकार व प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नवीनतम विभागीय निर्देशों के क्रम में प्रकरण पर पुनः जांच कर 15 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर

Scanned by CamScanner